



ग्रामीण सेवा शिविर -2025'

राजस्थान सरकार

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलेक्टर आबुपर्वत
(पीठासीन अधिकारी ग्रामीण सेवा शिविर/कैम्प कोर्ट - डेकर)

-: आदेश :-

प्रार्थी के खाता दुरस्ती प्रार्थना पत्र एवं पटवारी हल्का डेकर नू. अ. निरीक्षक किवरली की रिपोर्ट तथा तहसीलदार देलदर की अनुशांषा के आधार पर राजस्थान नू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 136 के अनुसारण में ग्राम डेकर नू. अ. निरीक्षक वृत्त किवरली तहसील देलदर जिला सिरोही की जमाबन्दी सम्वत 2024-22 में वर्तमान में दर्ज प्रविष्टि को निम्नलिखित रूप से शुद्ध किया जाकर राजस्व रेकर्ड में अमल दरामद के आदेश दिये जाते है-

क्र. सं.	ग्राम	खाता संख्या	वर्तमान प्रविष्टि (अशुद्ध प्रविष्टि)	आदेश (शुद्ध प्रविष्टि जो राजस्व रेकर्ड में दर्ज की जानी है)
1	डेकर	27	हरीश पुत्र इरनाशक जानि - काड	हरीश पुत्र इरनाशक जानि - काड

(Signature)
(डॉ. अच्यु प्रिया)

बर्डरस्व
पीठासीन अधिकारी
ग्रामीण सेवा शिविर-2025
उपखण्ड अधिकारी
एवं पदेन सहायक कलेक्टर आबुपर्वत

क्रमांक / या.से.शि. / कोर्ट / 2025 / 165

दिनांक- 18.09.2025

प्रतिलिपि:-

1. तहसीलदार देलदर को भेजकर लेख है कि आदेशानुसार राजस्व रेकर्ड में अमल दरामद शीघ्र किया जाकर पालना से अवगत करावे।
2. प्रार्थी श्री हरीश पुत्र इरनाशक जानि - काड को सूचनाार्थ।
3. रक्षित पत्रावली।

(Signature)
पीठासीन अधिकारी
ग्रामीण सेवा शिविर-2025
उपखण्ड अधिकारी
एवं पदेन सहायक कलेक्टर आबुपर्वत

